

मुख्य अभियंता-6 दरभंगा का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक— ७६० /

दिनांक— १०.५.२०२५

प्रेषक,

ई० किशोर कुमार

मुख्य अभियंता-6

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, झंजारपुर।

विषय: शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत कार्य प्रमण्डल, झंजारपुर के अधीन MMGSUY-RRSMP/24-25-Jhanjharpur/01(Tender ID-139360) कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

विभागीय पत्रांक—मु०अ०(अ०उ०)४५१५-०१-७९२/२०२५-१६२७ अनु०, दिनांक ०८.०५.२०२५ द्वारा संसूचित आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त विषयक कार्य बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका-१६३ के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य सफल निविदाकार M/S MAA RAJESHWARI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED. (BID ID-609912) को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से ०.०० (शून्य दशमलव शून्य शून्य प्रतिशत) कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य कुल ४९,६०,४३,१८४/- (उनचास करोड़ साठ लाख तैतालीस हजार एक सौ चौरासी) रुपये मात्र की लागत पर आपकी अनुशंसा एवं कार्यहित में आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. CMBD के संसंगत कंडिकाओं के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा हेतु Performance Security के रूप में E-BG प्राप्त किया जाय या विभागीय पत्रांक—मु०अ०(नि० एवं गु०नि०) विविध कार्य-०६-१५३/२०२४-१७२५, दिनांक ०८.०५.२०२५ में दिये गये निदेश के आलोक में बिहार राज्य अवस्थित Scheduled Commercial Banks से e-BG (Electronic Bank Guarantee) के स्थान पर System Generated BG with SFMS (Structured Financial Massaging Services) Number को मान्य करते हुए BG निर्गत करते समय BG के सत्यापन हेतु विभाग के Beneficiary Bank (भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना) का IFSC Code-SBIN0006379 एवं संबंधित कार्य प्रमण्डल के Email Id का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाय।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/काली सूची या कार्य लंबित सूची में शामिल न हो।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे। अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन/LOA निर्गत करने से पूर्व मिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है। यदि अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो तो एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।

12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।
13. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
14. इस कार्य का व्यय **शीर्ष MMGSUY** योजनान्तर्गत से मिलने वाले राशि अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।
15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
16. आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
17. एकरारनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रामाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
18. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
19. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर नियमानुसार कार्रवाई किये बिना निर्माण कार्य नहीं कराया जाय।
22. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
23. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
24. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करेंगे।
25. निविदा में यंत्र-संयत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम यदि यंत्र-संयत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।
26. कार्यपालक अभियंता कार्यावंटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब **LOA (Letter of Acceptance)** निर्गत करेंगे एवं **CMBD** की **ITB** की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर **Performance Security** प्राप्त करते हुए एकरारनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर **Performance Security** जमा नहीं करने की स्थिति में **ITB** की कंडिका 34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के पश्चात एकरारनामा करने हेतु **Proper Justification** के साथ प्रस्ताव उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।
27. विभागीय पत्रांक—मु030(अ0उ0)4515-01-792 / 2025-1627 अनु0, दिनांक 08.05.2025 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर **Letter of Acceptance (LOA)** संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0—यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
KSM वार्षिक
मुख्य अभियंता-6

ज्ञापांक— 760 /

दिनांक— १०.५.२० / 25

प्रतिलिपि—

1. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
2. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सहायक आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के ई—मेल आई0टी0 पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

KSM वार्षिक
मुख्य अभियंता-6